कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 05/2020-21/

दिनांक : /11/2020

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम - ऋषिकेश,
जनपद - देहरादून ।

विषय : नगर निगम ऋषिकेश, जनपद- देहरादून का वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग II (अ) में **03** प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में **12** प्रस्तर एवं STAN में **शून्य** प्रस्तर (पृष्ठ संख्या 01 से 35 तक) हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इस पत्र की प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1. प्रतिवेदन की प्रति।
2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप।

भवदीय,

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

सं. :AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 05/2020-21/ दिनांक: /11/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून।
3- निदेशक, लेखापरीक्षा (ऑडिट निदेशालय) द्वितीय तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005 ।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

निरीक्षण आख्या **नगर निगम ऋषिकेश, जिला-देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहारादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस0के0 वर्मा, स0ले0प0अ0, श्री नित्यानन्द सिंह, स0ले0प0अ0 एवं श्री लक्ष्मण सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16.10.17 से 26.10.17 तक श्री वी.पी. सिंह, व.ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी जिसमें अवधि 2014-15 से 2016-17 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र ऋषिकेश

(ii) जनसंख्या: - 121450

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: - 40

(iv) इकाई द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: 08

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: वर्तमान तक कोई समिति अस्तित्व में नहीं है।

(vi) कर्मचारियों की संख्या: -146
(vii) इकाई की संपत्तियाँ: - भवन, दुकानें आदि
(viii) इकाई के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**
(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**
(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:
(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:
(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:
(द) लाभार्थियों की संख्या:
(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: बजट विवरण के अनुसार
(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय **आय-व्यय विवरण के अनुसार**
(अ) सामान्य :
(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये| : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**
(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून का वर्ष 2017–18 का आय व्यय विवरण (` में)

मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
13वां वित्त	8850	0	8850	0	8850
14वां वित्त	25198566	44365000	69563566	18912449	50651117
राज्य वित्त आयोग	19962187	177023000	196985187	115629451	81355736
अवस्थापना निधि	0	0	0	0	0
Grant for IEC	14500	0	14500	0	14500
अर्धकुम्भ मेला अनुदान	2620537	120000	2740537	2728212	12325
एस0 पी0 सी0 बी0 डस्टबीन क्रय हेतु	325	0	325	0	325
नमांमी गंगे	0	233140	233140	0	233140
स्वच्छ भारत मिशन	56000	326650	382650	98000	284650
चार धाम यात्रा अनुदान	40046	1500000	1540046	1540046	0
विधायक निधि	45000	0	45000	0	45000
निकाय निधि ब्याज एंव अमानत सहित	48354324	153419358	201773682	156795606	44978076
योग	**96300335**	**376987148**	**473287483**	**295703764**	**177583719**

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून का वर्ष 2018–19 का आय व्यय विवरण

मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
13वां वित्त	8850	0	8850	0	8850
14वां वित्त	50651117	69141000	119792117	32212685	87579432
राज्य वित्त आयोग	81355736	177694000	259049736	143351559	115698177
अवस्थापना निधि	0	0	0	0	0
Grant for IEC	14500	0	14500	0	14500
अर्धकुम्भ मेला अनुदान	12325	0	12325	0	12325
एस0 पी0 सी0 बी0 डस्टबीन क्रय हेतु	325	0	325	0	325
नमांमी गंगे	233140	0	233140	233140	0
स्वच्छ भारत मिशन	284650	200000	484650	131315	353335
चार धाम यात्रा अनुदान	0	0	0	0	0
विधायक निधि	45000	0	45000	0	45000
सुक्ष्म लघु मघ्यम उद्यम मंत्रालय	0	1000000	1000000	713184	286816
जिला पंचायत–राज्य वित	0	4477800	4477800	0	4477800
जिला पंचायत–14वां वित	0	14496000	14496000	0	14496000
TFC -Performing grant	0	9517000	9517000	150000	9367000
निकाय निधि ब्याज एंव अमानत सहित	44978076	191320708	236298784	184912355	51386429
योग	**177583719**	**467846508**	**645430227**	**361704238**	**283725989**

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून का वर्ष 2019–20 का आय व्यय विवरण

मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
13वां वित्त	8850	0	8850	0	8850
14वां वित्त	87579432	76868000	164447432	33969516	130477916
राज्य वित्त आयोग	115698177	177742517	293440694	186378504	107062190
अवस्थापना निधि	0	0	0	0	0
Grant for IEC	14500	0	14500	0	14500
अध्रकुम्भ मेला अनुदान	12325	0	12325	0	12325
एस0 पी0 सी0 बी0 डस्टबीन क्रय हेतु	325	0	325	0	325
नमांमी गंगे	0	219305	219305	219000	305
स्वच्छ भारत मिशन	353335	4643350	4996685	237800	4758885
चार धाम यात्रा अनुदान	0	1800000	1800000	0	1800000
विधायक निधि	45000	0	45000	0	45000
सुक्ष्म लघु मघ्यम उद्यम मंत्रालय	286816	0	286816	40000	246816
जिला पंचायत–राज्य वित	4477800	3032000	7509800	4445674	3064126
जिला पंचायत–14वां वित	14496000	13686000	28182000	14219634	13962366
TFC -Performing grant	9367000	0	9367000	2726481	6640519
ग्प्रम पंचायत	0	24384	24384	0	24384
दीनदयाल अंतयोदय योजना	0	90000	90000	0	90000
निकाय निधि ब्याज एंव अमानत सहित	51386429	262787981	314174410	280661724	33512686
योग	**283725989**	**540893537**	**824619526**	**522898333**	**301721193**

नगर निगम ऋषिकेश का केंद्र पुरोधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्ति एवं व्यय का विवरण (` में)

वर्ष 2017-18

मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
तेरहवां वित	8850	0	8850	0	8850
चोदहवां विता	25198566	44365000	69563566	18912449	50651117
नमांमी गंगे	0	233140	233140	0	233140
स्वच्छ भारत मिशन	56000	326650	382650	98000	284650
योग	**25263416**	**44924790**	**70188206**	**19010449**	**51177757**

वर्ष 2018-19

मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
तेरहवां वित	8850	0	8850	0	8850
चोदहवां विता	50651117	69141000	119792117	32212685	87579432
नमांमी गंगे	233140	0	233140	233140	0
स्वच्छ भारत मिशन	284650	200000	484650	131315	353335
जिला पंचायत–14वां वित	0	14496000	14496000	0	14496000
13th FC -Performance grant	0	9517000	9517000	150000	9367000
योग	**51177757**	**93354000**	**144531757**	**32727140**	**111804617**

वर्ष 2019-20

मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
तेरहवां वित	8850	0	8850	0	8850
चोदहवां विता	87579432	76868000	164447432	33969516	130477916
नमांमी गंगे	0	219305	219305	219000	305
स्वच्छ भारत मिशन	353335	4643350	4996685	237800	4758885
जिला पंचायत–राज्य वित	4477800	3032000	7509800	4445674	3064126
जिला पंचायत–14वां वित	14496000	13686000	28182000	14219634	13962366
13th FC -Performance grant	9367000	0	9367000	2726481	6640519
दीनदयाल अंतयोदय योजना	0	90000	90000	0	90000
योग	**116282417**	**98538655**	**214821072**	**55818105**	**159002967**

लेखाओं पर टिप्पणी:

1. वर्ष के अंत में बड़ी धनराशियाँ बची हुई हैं जो योजनाओं के उचित कार्यान्वयन न होने का ध्योतक है।
2. वर्ष 2016-17 के आय-व्यय विवरण में अर्धकुंभ मेला अनुदान मद में अंतिम शेष ₹1295781 दर्शाया गया था जबकि यह ₹2620537 होना चाहिए था। अंतर का निराकरण कराया जाना अपेक्षित है।
3. वर्ष 2016-17 के आय-व्यय विवरण में निकाय निधि मद में अंतिम शेष ₹2032517 दर्शाया गया था जबकि यह ₹48354324 होना चाहिए था। अंतर का निराकरण कराया जाना अपेक्षित है।
4. 13 वें वित्त की अवशेष धनराशि ₹8850 वर्ष 2016-17 के आय-व्यय विवरण में नहीं दर्शाई गयी थी।

भाग दो (अ)

प्रस्तर 01: चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत कूडा निस्तारण कार्य के लिए बिना किसी आवश्यकता आकलन के 02 रिफयूज काम्पेक्टर वाहन के क्रय पर धनराशि ₹ 29.66 लाख का निष्प्रयोज्य रहना।

उत्तराखण्ड राज्य के शहरी विकास इकाईयों पर लागू उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के नियम 123 के अनुसार इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किसी निगम प्राधिकारी को दिये गये किसी अधिकार के प्रयोग या उस पर आरोपित किसी ऐसे कर्तव्य का सम्पादन, जिसमें कोई व्यय होना हो, उस दशा को छोड़कर जब कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन, स्पष्टतः अन्यथा व्यवस्था हो, निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन होगा, (क) ऐसे व्यय के लिए, जहां तक उसे उक्त अधिकार के प्रयोग या कर्त्तव्य का पालन से सम्बद्ध वित्तीय वर्ष में करना हो, बजट अनुदान के अन्तर्गत व्यवस्था करना हो, और (ख) यदि ऐसे अधिकार का प्रयोग या कर्त्तव्य के पालन में उक्त वित्तीय वर्ष की किसी अवधि के लिये या उसकी समाप्ति के पश्चात, किसी भी समय कोई व्यय होना हो, या होने की सम्भावना हो तो ऐसे व्यय के लिए व्यय करने से पूर्व निगम की बैठक में निगम की स्वीकृति ले ली गयी हो।

नगर निगम, ऋषिकेश की अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा निगम परिक्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत विभिन्न वाहनों के साथ 02 रिफयूज काम्पेक्टर 08 क्यू. मीटर क्षमता माउण्टेड आन 11 टन जीवीडब्ल्यू ट्रक चेसिस केबिन मय पीटीओ बीएस 4 मीनिमम 3600 एमएम डल्ल्यू बी की आपूर्ति हेतु निर्माता कम्पनियों अथवा उनके अधिकृत डीलरों से अधिप्राप्ति के लिए अल्पकालीन निविदा के आधार पर तकनीकी रुप से योग्य एवं वित्तीय निविदा में न्यूनतम दरदाता मे0 ए.टी.एस. इन्वायरोटेक, सहारनपुर की फर्म को 02 रिफयूज काम्पेक्टर वाहन लागत धनराशि ₹ 55.60 लाख (27.80 लाख प्रतिनग) की आपूर्ति के लिए चुना गया। निर्धारित मानक के अनुरुप वाहनों की आपूर्ति के लिए दिनांक 26.02.2018 को अधिकतम 30 दिन में आपूर्ति करने के लिए क्रय आदेश जारी किया गया तथा दिनांक 28.02.2018 को इस हेतु आपूर्तिकर्ता फर्म के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया। अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय के पत्र दिनांक 31.05.2018 के माध्यम से आपूर्तिकर्ता फर्म को उपरोक्त वाहन की आपूर्ति न किये जाने के कारण दिनांक 28.05.2018 तक की समयवृद्धि प्रदान की गयी। आगे जॉच में पाया गया कि ओबराय मोटर्स लि. द्वारा आपूर्तित ट्रक चेचिस के लिए दिनांक 07.05.2018 तथा 22.05.2018 को प्रस्तुत इनवाइस देयकों के आधार पर प्रतिनग रु0 13.33 लाख की दर से कुल धनराशि **₹ 26.66 लाख** का भुगतान कार्यालय द्वारा 14वें वित्त आयोग मद से क्रय आदेश जारी होने के 06 माह व्यतीत होने के बाद भी बिना वाहन की आपूर्ति सुनिश्चित किये दिनांक 13.09.2018 को किया गया। निगम ने अपने पत्र दिनांक 06 दिसम्बर 2018 के माध्यम से रिफयूज काम्पेक्टर वाहन की आपूर्ति बार बार पत्र प्रेषित करने पर भी आपूर्ति न किये जाने के कारण रिफयूज काम्पेक्टर के दोनो चेसिस कार्यालय को वापिस करने के लिए कहा गया तद्नुसार आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा दोनो वाहन चेसिस बिना बाडी के कार्यालय को दिनांक 04.02.2019 को वापस किया गया। कार्यालय द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2019 को सम्बन्धित फर्म को नियत अवधि में वाहनों की आपूर्ति न किये जाने तथा अनुबन्ध का उलंघन किये जाने के लिए फर्म की जमानत जमा धनराशि को जब्त करते हुए अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया तथा भविष्य में निगम की किसी प्रतियोगात्मक आपूर्ति में भाग न लेने हेतु प्रतिबन्धित कर दिया गया।

क्रय पत्रावली तथा निगम बोर्ड की बैठको के कार्यवृंत की जॉच में पाया गया कि उक्त दोनो रिफयूज काम्पेक्टर के क्रय किये जाने से पूर्व निगम बोर्ड की बैठक में न तो प्रस्तावित किया गया और न ही निगम बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया गया था। उक्त रिफयूज काम्पेक्टर के उपयोग के लिए कार्यालय द्वारा वाहन की आवश्यकता सम्बन्धी कोई आकलन भी नहीं कराया गया था।

आगे यह पाया गया कि एक रिफयूज काम्पेक्टर का ऋषिकेश के स्थानीय बाजार से सामान्य ढाला का धनराशि **₹ 2,99,720** का व्यय करते हुए मार्च 2019 में कराया गया तथा दूसरे वाहन का चेसिस उसी रुप में कार्यालय परिसर में खडी है। उक्त दोनो वाहनों का वर्तमान तक पंजीकरण नहीं कराया गया है। कार्यालय द्वारा किसी भी वाहन का कूडा उठाने आदि कार्यो के लिए वर्तमान तक प्रयोग नहीं किया गया है।

उपरोक्त वाहनों के अवलोकन से ही स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन निरन्तर जर्जर अवस्था में होता जा रहा है एवं उसकी वारंटी अवधि भी समाप्त हो चुकी है तथा नगर निगम परिसर में खडी है। यह भी पाया गया कि आपूर्तिकर्ता फर्म से किये गये अनुबन्ध तथा क्रय आदेश से स्पष्ट है कि उक्त वाहन की आपूर्ति पूर्ण रुप से कम्पलीट अवस्था में प्राप्त की जानी थी परन्तु कार्यालय द्वारा अधूरे वाहन की आपूर्ति प्राप्त की गयी। वाहन जिसका सामान्य ढाला बनाया गया है, की लागबुक की जॉच में पाया गया कि वाहन माह जुलाई 2020 में पेडो की जाल लेने के लिए 04 बार देहरादून गयी थी तथा कूडा निस्तारण के लिए इस वाहन का कोई उपयोग नहीं किया गया था। वर्तमान तक वाहन का पंजीकरण नहीं कराया गया है तथा वाहन की एक वर्ष की वारंटी अवधि भी समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार से बिना किसी आवश्यकता सम्बन्धी आकलन के तथा निगम बोर्ड की बैठक में अनुमोदन के वाहन क्रय एवं एक बाडी के निर्माण पर **धनराशि ₹ 29.66 लाख** का व्यय निष्प्रयोज्य रहा है।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि तत्कालीन प्रशासक महोदय के निर्देशानुसार वाहनों का क्रय किया गया था। यह भी अवगत कराया गया कि एक चेचिस पर कूडा उठान हेतु बाडी बनाकर प्रयोग में लाया जा रहा है, दूसरी चेसिस पर बाडी बनाये जाने की कार्यवाही गतिमान है। लेखापरीक्षा को एक वाहन उपयोग में लाये जाने सम्बन्धी उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त वाहन की लागबुक के अनुसार वर्तमान तक कूडा निस्तारण के लिए इस वाहन का कोई उपयोग नहीं किया गया है जैसा कि उपर चित्र से भी स्पष्ट होता है।

अतः 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कूडा निस्तारण कार्य के लिए बिना किसी आवश्यकता के 02 रिफयूज काम्पेक्टर वाहन के क्रय पर धनराशि **₹ 29.66 लाख** का व्यय किये जाने के उपरान्त भी दो वर्षो से अधिक समय तक निष्प्रयोज्य रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (अ)

प्रस्तर 02: रोकड़ बही के अंतशेष का बैंक खातों में उपलब्ध धनराशि ₹53,02,018/- का अंतर एवं बोर्ड के समक्ष लेखा विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण वित्तीय आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण किया जाना।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 99 (i) के अनुसार इकाई आगामी मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वास्तविक और प्रत्याशित प्राप्तियों और व्यय का पूर्ण लेखा तैयार कराएयी और इकाई की आय और व्यय के बजट प्राकलन के साथ उसे बैठक में रखाएगी। इस कार्य को इकाई के लेखा विभाग द्वारा संपादित कराया जाना अपेक्षित है। इसकार्य को नगर निगम के लेखा विभाग द्वारा संपादित कराया जाना अपेक्षित होता है। National Municipal Accounts Manual (NMAM) के पैरा 30.5 के अनुसार शहरी निकाय द्वारा प्रत्येक माह के अंत में बैंक समाधान विवरण बनाया जाना चाहिए ताकि रोकड़ बही में धनराशि का बैंक में उपलब्ध धनराशि के साथ मिलान किया किया जा सके।

नगर निगम ऋषिकेश, जनपद – देहारादून की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2020 को इकाई कि रोकड़ बही में **₹26,89,12,036/-** की धनराशि अवशेष दर्शायी गई थी जबकि इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खातों की पास बुकों की जाँच में इकाई के बैंक खातों में दिनांक 31.03.2020 को **₹27,42,14,054/-**की धनराशि अवशेष पाई गई है। इस प्रकार इकाई के बैंक खातों में दिनांक 31.03.2020 को **₹53,02,018/- अनुलग्रक 'अ'**की धनराशि अधिक पाई गयी थी।

आगे जाँच में पाया गया कि लेखा मिलान न होने एवं रोकड़ बही तथा बैंक लेखे में भिन्नता के कारण संकलित वित्तीय विवरण त्रुटिपूर्ण था जिसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखा विभाग द्वारा बोर्ड के समक्ष बैठक में रखा गया।

आगे जाँच में यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा:-

(i) रोकड़ बही में माह के अंत में मासिक आय तथा मासिक व्यय का विवरण नहीं बनाया जा रहा है।

(ii) रोकड़ बही के बीच में वित्तीय नियमों के विपरीत खाली पृष्ठ छोड़े जा रहे है, जिनका दुरुपयोग किये जाने कि संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(iii) रोकड़ बही में बहुत अधिक काँट – छांट कि जा रही है तथा इसे सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया जा रहा है।

बैंक में उपलब्ध **₹27,42,14,054/-**की अधिक धनराशि के बारे में पूछे जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि जांच कर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जायेगा तथा भविष्य में अनुपालन किया जायेगा। इकाई द्वारा आगे यह भी बताया गया कि भविष्य में मिलान करा दिया जायेगा एवं सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करा दिया जायेगा।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा बैक में उपलब्ध धनराशि **₹27,42,14,054/-** की अधिक का ठोस कारण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया है।इकाई द्वारा वित्तीय नियमों का निरंतर उल्लंघन किया जा रहा है। इकाई के लेखा विभाग द्वारा बोर्ड के समक्ष भी त्रुटिपूर्ण वित्तीय विवरण उपलब्ध किया जा रहा है। इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान कोई भी बैंक समाधान विवरण न बनाया जाना इकाई के आंतरिक नियंत्रण में कमी को दर्शाता है जिसके फलस्वरूप किसी भी वित्तीय अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

अनुलग्नक 'अ'

नगर निगम ऋषिकेश, जनपद – देहारादून के पास दिनांक 31.03.2020 को समस्त बैंकखातों कि पास बुकों एवं PLA खाते के अनुसार उपलब्ध धनराशि का विवरण (निधियों पर अर्जित ब्याज सहित)

Sl. No	**Name of bank**	**Account no.**	**Balance as on 31.03.2020**
1.	The Nainital Bank Ltd.	0992000000000086	2535151.72
.2	Bank of Baroda	25000100001915	26845.40
3.	Axis Bank	156010100148849	28742.00
4.	Bank of Baroda	25000100001934	32907.50
5.	Punjab & Sind Bank	02251000012307	121276.64
6.	Allahabad Bank	21071305152	89401.00
7.	Syndicate Bank	89372210000823	24140.85
8.	Union Bank	306902010015089	14974.00
9.	HDFC Bank	50100067657175	381500.00
10.	Union Bank	306902010005750	276366.01
11.	ICICI Bank	159601000557	45207.00
12.	Punjab National Bank	3714000109924833	2 40595.08
13.	State Bank of India	10548875590	13920402.76
14.	State Bank of India	10548875556	410222.42
15	Andhra Bank	205610100005181	12478.00
16.	IDBI Bank	1070102000009133	3032000.00
17	IDBI Bank	1070102000009126	13686000.00
18.	Bandhan Bank	50190006007860	391171.00
19.	ICICI Bank	159601000642	4905181.00
20.	Central Bank of India	3696755979	90000.00
21.	ICICI Bank	159301001125	226493.00
22.	PLA (SFC)	800401 (Ledger)	107062190
23.	PLA (14th FC)	800404 (Ledger)	130477916
		Balance as per Passbook	**274214054.18**
		Balance as per Cash Book	**268912035.94**
		Difference(+)Excess in Bank	**5302018.24**

भाग दो (अ)

प्रस्तर :03 नगर निगम परिक्षेत्र में मार्ग खुदाई के लिए क्षतिपूर्ति के साथ प्राप्त जी.एस.टी. की धनराषि मय अर्थदण्ड तथा ब्याज की धनराशि रु0 19,01,640 सरकार को विगत 20 माहों से जमा न किया जाना तथा मार्ग खुदाई हेतु आगणित धनराषि रु0 84,332 अप्राप्त रहना।

माल एवं सेवा अधिनियम 2017 की धारा 76 (1) के अनुसार इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर के रुप में किसी रकम का संग्रह किया है और उक्त रकम का सरकार को संदाय नहीं किया है तो वह तुरंत इस बात के होते हुए कि वह पूर्ति, जिनके संबंन्ध में ऐसी रकम का संग्रह किया गया है, कराधेय है या नहीं, उक्त रकम का सरकार को संदाय करेगा। धारा 122 (3) के अनुसार जहॉ कराधेय व्यक्ति जो कर के रुप में किसी कर का संग्रह कर उसको सरकार को संदाय करने में तीन माह से परे उस तारीख को जिसको ऐसा संदाय देय था, असफल रहता है तो ऐसी स्थिति में कटौती किये गये परन्तु सरकार को संदेय न किये गये कर के समतुल्य रकम को शास्ति के रुप में संदाय करने के लिए दायी होगा। धारा 50 (1) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है किन्तु सरकार को विहित अवधि के भीतर सरकार को संदाय करने में असफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है ऐसी दर पर ब्याज का जो 18 प्रतिशत तक होगा, जैसा सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए संदाय करेगा।

नगर निगम परिधि क्षेत्र में अन्य विभागों द्वारा सम्पादित कार्यो जैसे भूमिगत तार बिछाना, पोल लगाना आदि के निर्माण के दौरान निगम परिक्षेत्र की सडकों को क्षति पहुचाये जाने पर पुनर्निमाण के लिए सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित दर से क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

नगर निगम, ऋषिकेष के अन्तर्गत सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार रोड कटिंग की क्षतिपूर्ति के लिए धनराशि की मॉग की गयी जिसमें 12 प्रतिशत की दर से GST का प्रावधान भी किया गया। तद्नुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा सम्पूर्ण धनराशि रु0 77.17 लाख कार्यालय में दिनांक 01.02.2019 को जमा करा दिया गया। अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि उक्त धनराशि में सम्मिलित GST की धनराशि रु0 8,26,800 वर्तमान तक 20 माह व्यतीत होने के बाद भी सरकार के GST मद में जमा नहीं किया गया। विवरण निम्नवत् है;

क.सं.	क्षतिग्रस्त निर्माण कार्य का नाम	आगणन प्रस्तुत करने का दिनांक	धनराषि	सम्मिलित GST की धनराषि	जमा दिनांक
1	बंगाली बस्ती सीवेज पंपिग स्टेशन से मायाकुण्ड पम्पिंग स्टेशन तक	23.01.2019	30,72,160	3,29,160	01.02.2019
2	सर्वहारा नगर में 1000 मीटर सीवर लाइन विछाया जाना	23.01.2019	46,44,640	4,97,640	01.02.2019
	कुल योग		**77,16,800**	**8,26,800**	

उपरोक्त विवरणानुसार आगणन में सम्मिलित GST मद की धनराशि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया गया परन्तु वर्तमान तक सरकार को संदाय नहीं किया गया है। उक्त धनराशि इकाई के खाता संख्या 52019020100354147 में दिनांक 01.02.2019 को जमा किया गया था। इस प्रकार से उपरोक्त GST अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मूल GST की धनराशि रु0 8,26,800 के साथ अर्थदण्ड की धनराशि रु0 8,26,800 तथा 20 माहों के लिए 18 प्रतिशत की दर से अधिरोपित ब्याज की धनराशि रु0 2,48,040 कुल धनराशि **रु0 19,01,640** GST मद में सरकार को संदाय किया जाना है।

नगर निगम, ऋषिकेश के रोड कटिंग से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि जलकल विभाग के बाल्मिकी वस्ती व अद्वैतानंद मार्ग में पाईप लाइन विछाने का कार्य से सम्बन्धित प्रस्तुत आगणन धनराशि रु0 84,322 आगणन प्रस्तुत किये जाने से 03 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी वर्तमान तक धनराशि कार्यालय को प्राप्त नहीं हो सका और न ही यह सुनिश्चित किया जा सका कि उक्त कार्य निष्पादित किया गया अथवा नहीं। यह भी पाया गया कि रोड कटिंग के कार्यो के नियमित देख रेख के लिए कोई पंजिका का रख रखाव नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि त्रुटिवश GST की धनराशि सरकार के GST मद में जमा नहीं किया जा सका, जिसे यथाशीघ्र जमा करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जलकल विभाग से अप्राप्त धनराशि के लिए इकाई द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं प्रदान किया गया।

अतः निगम क्षेत्र में मार्ग खुदाई के लिए क्षतिपूर्ति की धनराशि के साथ वसूल जी.एस.टी. की धनराशि मय अर्थदण्ड तथा ब्याज की धनराशि रु0 **रु0 19,01,640** को सरकार के जी.एस.टी. मद में 20 माह व्यतीत होने के बाद भी जमा नहीं किये जाने तथा मार्ग खुदाई हेतु आगणित धनराषि रु0 84,332 अप्राप्त रहने सम्बन्धी प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब '

प्रस्तर 01: निगम क्षेत्रांतर्गत स्थापित मोबाइल टावरों से Administrative Fee तथा One-time Permission Fee की वसूली न किए जाने के कारण राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपने पत्रांक संख्या 476/XXXIV/2018-17/सू.प्रौ./2018 दिनांक 26.11.2018 के माध्यम से Uttarakhand Right of Way, 2018 को प्रख्यापित किया गया है। Uttarakhand Right of Way, 2018 के प्रस्तर 7 के अनुसार नगर निगम को अपने क्षेत्रान्तार्गत Optical Fibre Cable बिछाने तथा मोबाईल टावर स्थापित करने हेतु किए गये आवेदन पर आवेदनकर्ता को लाईसेंस प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है।

Uttarakhand Right of Way, 2018 के प्रस्तर 11.3 के अनुसार, " **Every application under guidelines 11.1 shall be accompanied with a one-time non-refundable fee of INR 1,000 to meet administrative expenses for examination of the application and the proposed work. In case of Government land, annual lease rent for the space allocated for installation of Mobile tower shall be 10% of the market value of the land on 'per square meter basis'. Market value of the land will be fixed by District Collector, which shall be revised in every 5(five) years. Provided that the Lease rental per month for Mobile Tower shall not exceed Rs. 10,000 per month.**

Further, an amount of Rs. 5000/- (Rupees Five thousand only) per tower shall be collected from licensees/infrastructure providers as 'one time' permission fee besides lease rent. In the event of sharing the towers by other licensees/infrastructure Providers, each one of the licensees shall pay Rs. 5000/- (Rupees Five thousand only) as permission fees additionally. The fee so collected shall be remitted to the appropriate Account Head by the Head of office."

कार्यालय नगर निगम ऋषिकेश, जनपद-देहरादून के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई को अपने क्षेत्रान्तर्गत मोबाइल टावरों की संख्या ज्ञात नहीं थी और न ही इकाई द्वारा मोबाइल टावरों की संख्या ज्ञात करने हेतु कोई सर्वेक्षण करवाया गया था। इकाई द्वारा Optical Fibre Cable बिछाने हेतु दी गई अनुमति के फलस्वरूप ठेकेदारों से पी.डब्लू.डी. द्वारा जारी SOR की दरों के आधार पर रोड कटिंग चार्जेज की वसूली तो की जा रही थी परन्तु Administrative Fee तथा One-time Permission Fee की वसूली नहीं की जा रही थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थापित टावरों से किसी भी प्रकार की कोई वसूली नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि मोबाइल टावरों की संख्या ज्ञात करने हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है तथापि वर्तमान में स्वकर निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत मोबाइल टावर का विवरण देने हेतु प्रावधान किया गया है। इकाई द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि Administrative Fee तथा One-time Permission Fee की वसूली कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मोबाइल टावरों की संख्या ज्ञात कर अपनी आय बढ़ाने हेतु इकाई द्वारा कोई प्रयास नहीं किए थे। निगम क्षेत्रांतर्गत स्थापित मोबाइल टावरों से Administrative Fee तथा One-time Permission Fee की कोई भी वसूली न किए जाने के कारण इकाई को राजस्व की हानि हो रही थी जिसकी वसूली किया जाना अपेक्षित है।

अतः निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थापित मोबाइल टावरों से किसी भी प्रकार की फीस न लिए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब '

प्रस्तर 02 : विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त धनराशि ₹ 13,58,966 का वर्षों से अवरुद्ध रखा जाना।

Para 92 of Budget Manual Uttarakhand, 2012, describes the responsibilities of Controlling Officer. As per para 92(v), it is the duty and responsibility of a controlling officer to surrender appropriations or portions thereof which are not likely to be required during the year as soon as lapses or savings are foreseen.

कार्यालय नगर निगम ऋषिकेश की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निगम (पूर्व में नगर पालिका) को प्राप्त धनराशियाँ विगत कई वर्षों के निगम के खातों में अवरुद्ध पड़ी थी जिनको निगम द्वारा न तो पूर्ण रूप से व्यय किया गया और न ही व्यय न हो पाने की स्थिति में शासन/संबन्धित विभाग को वापस किया गया जिसका विवरण निमन्वत है:

(धनराशि ₹ में)

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**प्राप्ति का वर्ष**	**प्राप्ति अवशेष/**	**कुल व्यय**	**अवशेष धनराशि**
1.	आईईसी	वर्ष 2017-18 के पूर्व से शेष	14500	0.00	14500
2.	इन्वैस्टर समिट	2017-18	1000000	713184	286816
3.	अर्धकुंभ मेला अनुदान	2018-19	12325	0.00	12325
4.	एसपीसीबी डस्ट्बिन क्रय हेतु	वर्ष 2017-18 के पूर्व से शेष	325	0.00	325
5.	विधायक निधि	वर्ष 2017-18 के पूर्व से शेष	45000	0.00	45000
6.	सूक्ष्म एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय	2018-19	1000000	0.00	1000000
	योग		2072150	713184	1358966

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि इकाई के पास वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर **₹13,58,966/-** की धनराशि अवरुद्ध पड़ी हूई थी जिसे इकाई द्वारा न तो व्यय किया गया और न ही शासन/संबन्धित विभाग को वापस किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि अवशेष धनराशियों को संबन्धित विभाग को वापस कर दिया जाएगा।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई के पास यह धनराशि बहुत पहले से अवरुद्ध पड़ी हुई हुई थी जिसे Budget Manual Uttarakhand, 2012 के नियमों के अनुसार शासन को समर्पित करने की बजाय अपने पास पिछले कई वर्षों से भी अधिक समय से अवरुद्ध रखा गया है।

अतः निगम द्वारा **₹13,58,966/-** की धनराशि को अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 03: ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली के प्रावधानों का पूर्ण रुप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाना।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 अधिसूचित की गयी थी (सितम्बर 2000)। इन नियमों का प्रत्येक नगरीय प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथकीकरण, भण्डारण, परिवहन, प्रक्रिया एवं निस्तारण किया जाना था। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 में संशोधन कर (अप्रैल 2016) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 बनायी गयी जो म्युनिसिपल क्षेत्र से बाहर भी प्रभावी है। नियमावली के अनुसार निम्नलिखित मानदण्डों का अनुपालन किया जाना था।

मानदण्ड	अनुपालन
ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	प्रत्येक घरों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं उसे सामुदायिक बिन में हस्तांतरण
ठोस अपशिष्ट का पृथकीकरण	अपशिष्ट के पृथकीकरण हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन एवं पृथकीकृत अपशिष्टों का पुनः उपयोग एवं पुनर्प्रक्रिया को बढावा देना।
ठोस अपशिष्ट का भण्डारण	जनसंख्या घनत्व एवं अपशिष्ट के उत्पन्न मात्रा के आधार पर भण्डारण सुविधा का विकास एवं भिन्न भिन्न प्रकार के अपशिष्ट हेतु अलग-अलग रंगो में बिन का रखरखाव।
ठोस अपशिष्ट का परिवहन	अपशिष्ट के दैनिक सफाई हेतु ढंके हुये वाहनों का उपयोग एवं बहुस्तरीय हथालन को रोका जाना।
ठोस अपशिष्ट की प्रक्रिया	उपयोगी तकनीकी अथवा तकनीकी युग्म के द्वारा भू-भरण पर पड़ने वाले भार को कम करने हेतु प्रयास करना।
ठोस अपशिष्ट का निस्तारण	भू-भरण को उन अजैविक, अक्रियाशील अपशिष्टों से भरा जाना चाहिये जो जैविक प्रक्रिया द्वारा पुनर्चक्रण हेतु उपयोगी न हों।

उपरोक्त के अलावा **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016** के **बिन्दु 15(1)(ड +)** के अनुसार नगरीय निकाय इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर इन नियमों के उपबन्धों को समाविष्ट करते हुये उपविधियां बनायेगा एवं समय पर इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा, **बिन्दु 15(1)(यघ)** के अनुसार निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि प्रसुविधा का प्रचालक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात वर्दी, प्रदीप्त जैकेट, हाथ के दस्ताने, बर्साती, समुचित जूते और मास्क ठोस अपशिष्ट के हथालन में लगे सभी कार्मिको को उपलब्ध करायेगा और कार्यबल द्वारा इनका उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा, **बिन्दु 15 (1)(यक) एवं (यख)** के अनुसार नगरीय प्राधिकारी प्रारूप IV में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में अपनी वार्षिक रिपोर्ट निदेशक, शहरी विकास को दिनांक 30 अप्रैल एवं सचिव, शहरी विकास विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 31 मई तक प्रेषित करेगा, **बिन्दु 15 (1)(ठ)** के अनुसार निकाय अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रह कर्ताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का प्रशिक्षण देगा, **बिन्दु 25** के अनुसार यदि किसी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण या सुविधा केन्द्र या भराव भूमि स्थल पर कोई दुर्घटना होने की दशा में, तब सुविधा का प्रभारी अधिकारी प्रारूप-VI में घटना की रिपोट स्थानीय निकाय को भेजेगा, बिन्दु 15(1)(म एवं य) के प्रावधानों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जायेगा।

नगर निगम, ऋषिकेश जनपद देहरादून के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नगर निगम द्वारा उक्त नियमावली 2016 के क्रम में अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2019 बनायी गयी है जिसका गजट प्रकाशन भी किया जा चुका है। निगम परिक्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 60.00 मीट्रिक टन अपशिष्ट के सापेक्ष 58 मीट्रिक टन अपशिष्ट को सम्बद्ध 116 सफाई कार्मिकों के माध्यम से घरों से संग्रहित किया जा

रहा था। भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निगम परिक्षेत्र के सभी 40 वार्डो से छोटे वाहनों के माध्यम से संकलित कूडा नगर निगम कार्यालय से 01 किमी दूरी पर रिहायसी क्षेत्र में स्थित ट्रंचिंग ग्राउण्ड में इकट्ठा किया जाता है जहॉ उसमें से स्वयं सेवी संगठन UNDP की सहायता से प्लास्टिक, बोतल, बोरी आदि को अलग कर उसें अन्यत्र उपयोग के लिए भेजा जाता है। शेष कूडा उसी ट्रंचिंग ग्राउण्ड में इकट्ठा रहता है। उक्त ट्रंचिंग ग्राउण्ड में कई वर्षो का अत्यधिक कूडा होने से ग्राउण्ड के आस पास रहने वाले परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। जैसा कि निम्न चित्र से स्पष्ट है कि अत्यधिक मात्रा में कूडे के निस्तारण के लिए निगम कार्यालय द्वारा शहरी क्षेत्र एवं रिहायसी इलाके के बाहर वर्तमान में कोई प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित नहीं किया गया है। यह भी पाया गया कि नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की प्रक्रिया एवं भू-भरण हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र भी प्राप्त नही किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यालय द्वारा 02 से 03 स्थानों यथा उप जिलाधिकारी आवास परिसर एवं बाईपास रोड पर जंगल के पास निगम भूमि पर कम्पोष्ट पिट का निर्माण कराया गया है जहॉ पर शहर के गीले कूडे को सेग्रेगेट कर उससे कम्पोष्ट खाद बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि निगम द्वारा डी सेन्ट्रालाइज कम्पोस्टिंग के लिए 24 कम्पोष्ट पिट का निर्माण कराया गया है। सम्पूर्ण कूडे के निस्तारण के लिए अमित ग्राम ब्लाक में 10 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गयी है जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा जिसकी डी.पी.आर. शासन को प्रेषित की गयी है तद्उपरान्त उत्पन्न होने वाले सम्पूर्ण कूडे का निस्तारण वैज्ञानिक ढंग से किया जाएगा।

अतः ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का पूर्ण रुप से अनुपालन न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब '

प्रस्तर 04 : अनियमित रूप से विज्ञापन के अधिकार को सौंपे जाने से विज्ञापन मद में अपेक्षित राजस्व की प्राप्ति से वंचित रहना।

कार्यालय नगर निगम ऋषिकेश की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि एक फ़र्म मै. लुमिनेल्ली इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक पत्र लिखकर तत्कालीन नगर पालिका ऋषिकेश (वर्तमान में नगर निगम ऋषिकेश) की सीमा के अंतर्गत नारी सोलर ट्रेफिक लाइट सिस्टम लगाए जाने का प्रस्ताव नगर पालिका को प्रेषित किया गया (14.14.16) जिसके अनुसार उक्त फ़र्म द्वारा 10 वर्षों तक निशुल्क ट्रेफिक लाइट का रखरखाव किया जाना था। उक्त फ़र्म द्वारा प्रत्येक ऐसे ट्रेफिक लाइट की अनुमानित लागत ₹12 लाख बताई गयी तथा 2-3 चौराहो पर उक्त ट्रेफिक लाइट BOT अनुबंध के आधार पर लगाई जानी थी जिसे 10 वर्ष बाद नगर पालिका को हस्तांतरित कर दिया जाना था। इसके व्यय की पूर्ति के लिए फ़र्म द्वारा ट्रेफिक सिग्नल पर विज्ञापन प्रदर्शित कर उससे धनराशि प्राप्त करने का प्रस्ताव था। फ़र्म द्वारा यातायात पुलिस के सर्वे के अनुसार नगर में चौराहों पर ट्रेफिक लाइट लगाना आवश्यक था परंतु उक्त पत्र के साथ ऐसा कोई सर्वे संलग्न नहीं था।

तत्कालीन नगर पालिका द्वारा बोर्ड के प्रस्ताव (22.12.16) को मान लिया गया। बिना ट्रेफिक लाइट की आवश्यकता, उनपर होने वाली लागत तथा उनके सापेक्ष विज्ञापनों से प्राप्त होने वाली आय का आकलन किए ही नगर पालिका द्वारा मै. असेंट ट्रेफिक एंड मीडिया सोल्यूशंस देहरादून नाम की फ़र्म के साथ बिना निविदा आमंत्रित किए ही एक अनुबंध कर लिया गया (15.06.17)। इसके साथ ही पालिका द्वारा उक्त फ़र्म को ट्रैफिक लाइट लगाने हेतु उक्त फ़र्म को सभी अपेक्षित अधिकार एवं अनुमति प्रदान कर दी जिनकी अनुबंध में व्याख्या नहीं की गयी थी।

फ़र्म द्वारा 06 स्थानों पर ट्रैफिक लाइट लगाई जानी थी जिसके सापेक्ष दिनांक 13.11.2019 तक पाँच स्थानों पर ट्रैफिक लाइट लगाई जा चुकी थी व फ़र्म द्वारा 10 यूनिपोल लगाए जा चुके थे। उक्त फ़र्म द्वारा न तो पालिका/निगम को कोई आय-व्यय विवरणी प्रस्तुत की गयी और न ही सोलर ट्रैफिक लाइट के चालू रहने के संबंध में पालिका/निगम द्वारा कोई सर्वे ही किया गया। निगम द्वारा वर्ष 2020-21 में विज्ञापन मद से होने वाली संभावित आय के बारे में सर्वे किया गया जिसके अनुसार विज्ञापन हेतु कुल 40 स्थान चिन्हित किए गए। विज्ञापन मद से यथेष्ट आय न होने के कारण निगम द्वारा फ़र्म के साथ किए अनुबंध को निरस्त कर दिया गया (21.08.2020)। निगम के द्वारा वर्षवार बनाए गए बजट प्रावधान से स्पष्ट है कि निगम को विगत पाँच वर्षों में विज्ञापन मद से होने वाली वास्तविक आय अनुमानित आय के सापेक्ष मात्र 10.95 प्रतिशत ही रही जिसके पीछे एक कारण तात्कालिक नगर पालिका द्वारा उक्त फ़र्म के साथ अनुबंध में बंधा रहना भी है। यही नहीं वर्षवार विज्ञापन मद से होने वाली आय भी वर्ष दर वर्ष घटती ही रही। नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश के पत्र दिनांक 11.02.2020 के अनुसार उक्त ट्रैफिक लाइट भी सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रही थी तथा यातायात पुलिस द्वारा भी उक्त ट्रैफिक लाइट की आवश्यकता न रहने के बारे में अपने पत्रों द्वारा सूचित किया गया था।

इस संबंध में इंगित करने पर नगर निगम द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये उत्तर दिया कि पालिका द्वारा उक्त अनुबंध करने से पूर्व ट्रेफिक लाइट की आवश्यकता, उनपर होने वाली लागत तथा उनके सापेक्ष विज्ञापनों से प्राप्त होने वाली आय आदि का आकलन नहीं किया गया था तथा यह भी स्वीकार किया गया कि उक्त अनुबंध में बंधे होने के कारण निगम के गठन के पश्चात (08.11.2017) भी निगम उत्तराखंड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत सुस्पष्ट विज्ञापन नीति नहीं बना पाया तथापि निगम द्वारा वर्तमान में उक्त अनुबंध निरस्त कर दिया गया है और विज्ञापन नियमावली का अनुपालन किया जा रहा है।

निगम के उत्तर से स्पष्ट है कि तत्कालीन पालिका द्वारा किये गए उक्त अनुबंध के कारण निगम सुपष्ट विज्ञापन नियमावली नहीं अपना सका और न ही विज्ञापनों से होने वाली यथेष्ट आय प्राप्त कर सका। निगम का गठन अगस्त 2017 में होने के बाद भी निगम के पास कोई स्पष्ट विज्ञापन नीति नहीं थी और न ही निगम द्वारा इससे होने वाली आय तथा ट्रैफिक लाइट के संचालन, उसपर होने वाली आय आदि के बारे में कोई जानकारी थी। अधिप्राप्ति नियमावली के अनुपालन न करने के साथ ही पालिका द्वारा बिना किसी नियम के उक्त फ़र्म को विज्ञापनों पर एकाधिकार प्रदान कर दिया गया जिससे निगम को हानि हुई।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग II-'ब '</u>

प्रस्तर 05: नियमों के विपरीत तहबाज़ारी का ठेका दिये जाने से ₹ 7,41,519 के राजस्व की हानि।

उत्तराखंड शासन शहरी विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 825/iv(2)-श. वि.-2016 (सा.), दिनांक 25.05.2016 से जारी उत्तराखंड नगरीय फ़ेरी व्यवसायी (आजीविका सुरक्षा तथा फ़ेरी व्यवसाय विनियमन) नियमावली 2016 के प्रस्तर 16 (2) के अनुसार नगर फ़ेरी समिति/स्थानीय निकाय द्वारा फ़ेरी व्यवसायियों से किसी भी शुल्क की वसूली ठेके के आधार पर नहीं की जाएगी।

कार्यालय नगर निगम ऋषिकेश की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा उक्त प्रावधान के विपरीत नगर क्षेत्र में तहबाज़ारी वसूल करने हेतु समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रित की गयी (12.06.2019) जिसके अनुसार जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक के लिए तहबाज़ारी ठेके पर दी जानी थी। दिनांक 27.06.2019 को निविदा खोली गयी जिसके अनुसार अधिकतम धनराशि अंकित करने वाली फ़र्म अलकननदा एंटरप्राइज़ेस की निविदा स्वीकार कर ली गयी।

उक्त ठेका दिये जाने के बाद विभिन्न संगठनों द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी तथा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट पिटीशन 2465 वर्ष 2019 के संदर्भ में दिनांक 16.08.2019 को पारित आदेश में नगर निगम द्वारा ठेके पर तहबाज़ारी वसूल करने पर रोक लगा दी। जिसके अनुक्रम में नगर निगम द्वारा ठेकेदार को वसूली बंद कर फ़र्म द्वारा वसूल बंद करने हेतु आदेश दिया गया।

निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में तहबाज़ारी से प्राप्त आय निमन्वत थी:

वर्ष	**धनराशि (₹ में)**
2016-17 (02/2017 तक)	976148
2017-18	914265
2018-19	5685941
योग	**2459007**

विगत तीन वर्षों की औसत वसूली ₹819669 (2459007/3) रही जबकि निगम को मात्र ₹78150 ही वर्ष 2019-20 में तहबाज़ारी से प्राप्त हुये जोकि औसत से ₹741519 कम है।

इस संबंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कर यह उत्तर दिया गया कि कर्मचारियों की कमी के कारण तहबाज़ारी का ठेका दिया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखंड नगरीय फ़ेरी व्यवसायी (आजीविका सुरक्षा तथा फ़ेरी व्यवसाय विनियमन) नियमावली 2016 के प्रस्तर 16 (2) के प्रावधानों के विपरीत निगम द्वारा तहबाज़ारी का ठेका दिया गया जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियमों के विपरीत मानकर तहबाज़ारी बंद की गयी। यदि निगम द्वारा नियमों के विपरीत कार्य न किया गया होता तो निगम संभावित आय से वंचित न रहता।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब '

प्रस्तर 06: ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं से जमानत राशि के रूप में प्राप्त ₹ 31.48 लाख मूल्य की एफ़डीआर संबन्धित को वापस न किया जाना।

कार्यालय नगर निगम ऋषिकेश की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि निगम के पास विभिन्न ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से जमानत राशि के रूप में **₹ 31,47,515 (1236420+1911095)** प्राप्त एफ़डीआर विगत कई वर्षों से निगम के पास पड़ी हुई है जबकि संबन्धित कार्य भी पूरे हो चुके हैं और कार्य समाप्ति के बाद Liabity period भी समाप्त हो चुका है (विवरण संलग्न)।

उक्त एफ़डीआर नियत समय के बाद ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को वापस कर दिये जाने चाहिए थे अथवा कार्य में किसी प्रकार की कमी होने पर अनुबंध के शर्तों के अनुसार जब्त कर लिए जाने चाहिए थे जिससे निगम को आय प्राप्त होती। परंतु उक्त एफ़डीआर वर्षो से निगम के पास बिना किसी कार्यवाही किए रखी हुई है जिनमे से कुछ तो वर्ष 2003 में जारी किए गए थे।

इस संबंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा एवं जमानत राशि समय पर अवमुक्त कर दी जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त एफ़डीआर वर्षों से निगम के पास रखी हुई हैं और उनका परिपक्वता काल भी समाप्त हो चुका है। निगम के पास उनको सुरक्षित ढंग से नहीं रखा गया है और न ही जमानत संबंधी पंजिका बनाई जा रही है। इससे एक और निगम के पास देयता बढ़ती जा रही है और साथ ही निगम को कोई आय भी नहीं हो रही है।

अतः ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं से जमानत राशि के रूप में प्राप्त ₹ 31.48 लाख मूल्य की एफ़डीआर संबन्धित को वापस न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक: जमानत राशि

क्र .सं .	ठेकेदार का नाम सर्वश्री	एफ़डीआर जारी होने की तिथि	धनराशि (₹ में)
1.	ललित सक्सेना	12.04.17	50000
2.	दीपक कुमार	20.04.12	50000
3.	दीपक कुमार	19.10.12	45000
4.	बसंत लाल शर्मा	20.08.18	50000
5.	त्रिवेणी कंसल्टेंट	30.03.16	500000
6.	त्रिवेणी कंसल्टेंट	17.09.17	30000
7.	सुभाष रायजादा	02.03.09	27500
8.	राजेंद्र कुमार	29.11.08	5000
9.	सुभाष प्रसाद	31.07.08	1000
10.	सुभाष प्रसाद	20.12.06	1600
11.	हिमालयन एलेक्ट्रिकल्स	28.07.10	2000
12.	पीके कन्स्ट्रकशन	12.09.18	30000
13.	पीके कन्स्ट्रकशन	20.08.18	50000
14.	पीके कन्स्ट्रकशन	20.08.18	50000
15.	रॉयल स्पोर्ट्स	11.09.17	50000
16.	लिंक एंटरप्राइज़ेस	04.07.04	24600
17.	एके रोड, देहरादून	27.06.06	2000
18.	वर्मा एसोशिएटस	20.08.18	30000
19.	वर्मा एसोशिएटस	20.08.18	20000
20.	वर्मा एसोशिएटस	20.08.18	33000
21.	लिंक एंटरप्राइज़ेस	05.04.06	10300
22.	लिंक एंटरप्राइज़ेस	05.04.06	23000
23.	लिंक एंटरप्राइज़ेस	05.04.06	3700
24.	किरण जोशी	20.02.14	10000
25.	संतोष कुमार	07.08.14	5000
26.	किरण जोशी	19.07.16	15000
27.	वीके कन्स्ट्रकशन	28.09.18	67720
28.	Sunrise कन्स्ट्रकशन	19.09.16	50000
	योग		**12,36,420**

क्र .सं .	आपूर्तिकर्ता का नाम सर्वश्री	एफ़डीआर जारी होने की तिथि	धनराशि (₹ में)
1.	मै. एनवायरोंटेक एटीएस	05.02.18	300000
2.	एस्कॉर्ट्स कन्स्ट्रकशन ईक्विपमेंट लि.	06.05.05	18750
3.	बालामल प्रेमचंद जैन	07.05.07	15000
4.	डीडी मोटर्स प्रा .लि .	04.09.09	15000
5.	डिवाइन ऑटोमोटिव्स प्रा.लि .	04.09.09	15000
6.	ओबेरॉय मोटर्स	03.09.09	15000
7.	ओबेरॉय मोटर्स	03.10.09	12505
8.	एस्कॉर्ट्स कन्स्ट्रकशन ईक्विपमेंट लि.	19.10.09	31140
9.	सांगवान एनर्जि सिस्टम प्रा.लि .	30.10.10	3000
10.	एए टेक्नालजी	30.10.10	3000
11.	सन पावर एनर्जि पॉइंट	30.10.10	3000
12.	चन्द्रा आइरन एंड स्टील वर्क्स	05.11.14	100000
13.	सीसी नेटवर्क	21.05.15	10000
14.	सीसी नेटवर्क	21.05.15	10000
15.	भारत enterprises	07.12.15	25000
16.	संगम ट्रेडेर्स	06.06.17	100000
17.	ओबेरॉय मोटर्स	05.02.18	300000
18.	संगम enterprises	05.05.18	100000
19.	शार्प ट्रेडिंग कंपनी	02.02.18	250000
20.	सुरभि ग्रामीण वि समिति	06.01.17	160000
21.	सुरभि ग्रामीण वि समिति	26.12.16	125000
22.	भारत enterprises	07.12.15	24000
23.	जयसी इलेक्ट्रॉनिक्स	29.05.03	2700
24.	मित्तल एंड ब्रदर्स	05.02.18	250000
25.	ओबेरॉय मोटर्स	19.11.05	23000
	योग		**19,11,095**

भाग II-'ब '

प्रस्तर 07: ₹101.46 लाख व्यय करने तथा चार वर्ष से अधिक अवधि बीतने पर भी कार्य का अपूर्ण रहना।

नगर पालिका परिषद ऋषिकेश (वर्तमान में नगर निगम) द्वारा राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत पालिका सीमांतर्गत 52 सड़कों पर ₹243.61 लाख लागत से हॉट मिक्स द्वारा बीएम/एसडीबीसी कार्य हेतु दिनांक 11.03.16 को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु निविदा सूचना का प्रेषण किया गया था जिसके अनुसार दिनांक 26.03.2016 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि थी तथा उसी दिन निविदाएँ खोली जानी थी। कार्य तीन माह में पूर्ण किया जाना था।

निर्धारित तिथि तक पाँच निविदाएँ प्राप्त हुयी जिनमे से न्यूनतम दर वाली तिवेणी कंसल्टेंट की निविदा स्वीकार कर ली गयी (15.60% below)। लगभग तीन माह की देरी से दिनांक 08.06.16 को ठेकेदार को निविदा स्वीकृति की सूचना दी गयी। निगम द्वारा तीन माह से अधिक देरी से ठेकेदार को कार्यदेश जारी किया गया (27.09.16)। निगम द्वारा सड़कों की गुणवत्ता ठीक न होने का हवाला देकर जांच रिपोर्ट न आ जाने तक कार्य रोक दिया गया था (दिनांक 22.10.16) बोर्ड प्रस्ताव संख्या 16 (16) दिनांक 05.06.17 द्वारा भी कार्य ठीक न होने के कारण कार्य रोककर पहले की कमियों को ठीक करने हेतु प्रस्ताव पास किया गया।

कार्य रोकें जाने के संबंध में ठेकेदार द्वारा कई बार पत्र व्यवहार किया गया तथा निगम पर आईआरआई तथा आईआईटी रुड़की की जांच रिपोर्ट को नजरंदाज कर कार्य बार बार रोके जाने का आरोप लगाया गया। साथ ही बताया गया कि शेष बचे काम के मेमो/निविदा/2017-18 दिनांक 13.10.17 द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित की गयी जबकि पहले की निविदा का अनुबंध चल रहा था। ठेकदार द्वारा वर्ष 2016 में किए गए कार्यों का भुगतान नहीं किए जाने के सम्बन्ध में भी पत्राचार किया गया है। साथ ही दिनांक 18.06.18 के पत्र द्वारा 70-75 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने परंतु उनके भुगतान न किए जाने का उल्लेख किया गया है।

निगम अभियन्ताओं द्वारा दिनांक 13.08.19 को उक्त सड़कों की गुणवत्ता का जांच की गयी और कतिपय स्थलों पर सड़क खराब होने के कारण 2% की कटौती संस्तुत की गयी। कार्य तीन माह में पूरा होना था परंतु तीन वर्ष से भी अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी कार्य अभी तक अधूरा है जबकि उसके सापेक्ष कार्य पर ₹101.46 लाख (कार्य की लागत-लागत का 15.6%- गुणवत्ता कटौती=12065321-1809798-109189=10146334)भुगतान किया जा चुका है। 101.46 लाख भुगतान होने तथा अनुबंध होने के चार वर्ष बाद भी कार्य अपूर्ण रहा जिसके कारण जहां एक और कार्य की लागत बढ्ने की संभावना है वहीं जनता भी इसके लाभ से वंचित रही।

इस संबंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि स्थल पर 30 सड़कों का ही निर्माण पूर्ण किया जा सका तथा बाद में अनुबंध स्थगित कर दिया गया। अवशेष कार्यों को नयी योजना में शामिल कर दिया गया है जो कि शासन को भेज दी गयी है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निगम (तत्कालीन पालिका) द्वारा अनुबंध निविदा की वैधता (45 दिन) के बाद अनुबंध करने हेतु ठेकेदार को पत्र लिखा गया तथा इसके तीन माह देरी से अनुबंध किया गया। अनुबंध उस अवधि में किया गया जब सर्दी के कारण बीएम/एसडीबीसी कार्य प्रभावित होता है। यही नहीं निगम द्वारा समय पर ठेकेदार का अनुबंध निरस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिस कारण न केवल कार्य के करने में देर हुई बल्कि जनता भी कार्य से होने वाले लाभ से वंचित रही तथा भविष्य में कार्य की लागत बढ्ने की भी पूर्ण संभावना है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II (ब)

प्रस्तर 08: निर्माण कार्यों से काटी गयी रायल्टी की 25 प्रतिशत धनराशि ₹1,53,325/-को जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा न किया जाना ।

उत्तराखंड शासन औधोगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1621/VII-I/2017/8ख/16 दिनांक 17.11.2017 के द्वारा उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गई थी। यह नियमावली दिनांक 12.01.2015 से प्रवृत हुई समझी जायेगी।

उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली 2017 के नियम 10(5) के अनुसार सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली बालू, बाजरी पर खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा किया जायेगा।

नगर निगम ऋषिकेश जनपद-देहारादून के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कराये गए निर्माण कार्यों के लेखा – अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कराये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष कोषागार विवरणी के अनुसार धनराशि ₹ 613300/- की रायल्टी की कटौती कर ट्रेजरी के माध्यम से राजकोष में जमा कराई गई थी।

आगे जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा उक्त रायल्टी के सापेक्ष जिला न्यास निधि अंशदान हेतु रायल्टी की 25 प्रतिशत की धनराशि **₹1,53,325/-**को निर्माण कार्यों के सापेक्ष संबन्धित ठेकेदार से कटौती करके जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा कराई जानी थी। परंतु लेखापरीक्षा अवधि में उक्त मद में न तो कोई धनराशि की कटौती की गई और न ही धनराशि सबंधित राजकोष में जमा कराई थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो को स्वीकारते हुये अपने उत्तर में बताया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त धनराशि नहीं काटी जा सकी, प्रकरणों जांच कर इस पर अवशेष जमा करने की कार्यवाही की जाएगी। इकाई द्वारा दिया गया उत्तर अमान्य है क्योंकि यह आदेश 17.11.2017 से है जोकि 12.01.2015 प्रवृत माना गया था।

अत: इकाई द्वारा **₹ 1,53,325/-** की धनराशि रायल्टी की 25 प्रतिशत नही काटी जाने का प्रकरण उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

नगर निगम ऋषिकेश द्वारा वर्ष 2019-20 में निर्माण कार्यों पर काटी गयी रायल्टी

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	वाउचर दिनांक	धनराशि ₹
1.	P84480166	29-JUL-2019	4526
2.	P84480162	29-JUL-2019	10228
3.	P84480016	06-JUL-2019	22990
4.	P84480018	06-JUL-2019	636
5.	P84480188	29-AUG-2019	984
6.	P84480191	29-AUG-2019	4108
7.	P84480192	29-AUG-2019	6399
8.	P84480197	29-AUG-2019	4851
9.	P84480193	29-AUG-2019	6399
10.	P84480194	29-AUG-2019	5092
11.	P84480195	29-AUG-2019	10580
12.	P84480196	29-AUG-2019	868
13.	P84480198	29-AUG-2019	2106
14.	P84480189	29-AUG-2019	49
15.	P84480187	25-OCT-2019	3553
16.	P84480189	25-OCT-2019	12612
17.	P84480191	25-OCT-2019	29192
18.	P84480194	25-OCT-2019	7025
19.	P84480182	25-OCT-2019	24604
20.	P84480184	25-OCT-2019	4909
21.	P84480193	25-OCT-2019	16530
22.	P84480198	25-OCT-2019	197
23.	P84480201	25-OCT-2019	6683
24.	P84480202	25-OCT-2019	1761
25.	P84480179	25-OCT-2019	17563
26.	P84480203	26-OCT-2019	14108
27.	P84480139	21-NOV-2019	8951
28.	P84480144	27-DEC-2019	1333
29.	P84480148	27-DEC-2019	253
30.	P84480149	27-DEC-2019	9630
31.	P84480155	27-DEC-2019	6066
32.	P84480147	27-DEC-2019	5620
33.	P84480158	27-DEC-2019	23843
34.	P84480146	27-DEC-2019	15023
35	P84480145	27-DEC-2019	38557
36.	P84480058	24-JAN-2020	6655
37.	P84480053	24-JAN-2020	14000
38.	P84480054	24-JAN-2020	6554
39.	P84480037	12-FEB-2020	17827
40.	P84480041	12-FEB-2020	7934
41.	P84480031	12-FEB-2020	10029
42.	P84480032	12-FEB-2020	16641
43.	P84480033	12-FEB-2020	8042
44.	P84480036	12-FEB-2020	11393
45.	P84480030	12-FEB-2020	14391
46.	P84480035	12-FEB-2020	11287

47.	P84480039	12-FEB-2020	4602
48.	P84480217	27-FEB-2020	10007
49.	P84480216	27-FEB-2020	32753
50.	P84480214	27-FEB-2020	12918
51.	P84480219	27-FEB-2020	27723
52.	B84480004	03-MAR-2020	10048
53,	B84480094	19-MAR-2020	1145
54.	B84480067	19-MAR-2020	1277
55.	B84480093	19-MAR-2020	1552
56.	B84480097	19-MAR-2020	667
57.	B84480096	19-MAR-2020	603
58.	B84480091	19-MAR-2020	2225
59.	B84480098	19-MAR-2020	149
60.	B84480063	19-MAR-2020	1985
61.	B84480166	30-MAR-2020	939
62.	B84480175	31-MAR-2020	1006
63.	B84480165	31-MAR-2020	3682
64.	B84480176	31-MAR-2020	10646
65.	B84480179	31-MAR-2020	6444
66.	B84480170	31-MAR-2020	30347
		योग	**613300**
		जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा की जाने वाली %25की धनराशि	**153325**

<u>भाग II (ब)</u>

प्रस्तर 09: विभिन्न आय मदों के अंतर्गत ₹2,32,54,598/- के करो की लंबित वसूलियाँ।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम – 1916 (जो उत्तराखंड में भी लागू है) के अध्याय – 5 की धारा 128(1) के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में स्थित भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर आरोपित कर उसे वसूल करेगी, ताकि निकाय की आय में वृद्धि हो सके, एवं प्राप्त घनराशि का उपयोग विकास कार्यों में किया जा सकें। शासन के पत्रांक -760/श0वि0नि0 -1213/ आधी0नि0-2008 दिनांक 17.07.2014 के द्वारा निकायों को निर्देशित किया गया था कि <u>निकायों में आरोपित करों की वसूली 90 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित की जाये ।</u>

नगर निगम ऋषिकेश, जनपद-देहारादून के गृहकर तथा भवन/दुकान किराये से संबंधी अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में **संलग्नक – 'अ'** के अनुसार गृहकर एवं भवन/दुकान किराये मद से वसूली की गई। **संलग्नक –'अ'**से स्पष्ट है किवित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर उक्त मदों की कुल बकाया धनराशि ₹23154598/ का वसूल किया जाना अवशेष है। आगे जांच में यह भी पाया कि इकाई द्वारा गृहकर मद में 52% प्रतिशत से 39% प्रतिशत, तथा भवन/दुकान किराया मद में 53% प्रतिशत से 0% प्रतिशत की वसूली की गई है।

अनुलग्नक 'अ' से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 को कुल धनराशि ₹23154598/- (₹1801100 + ₹5143598/-) की वसूली लंबित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो को स्वीकारते हुये अपने उत्तर में बताया कि स्टाफ की कमी तथा जनता के द्वारा कर नहीं दिये जाने के कारण पूरी वसूली नहीं की जा सकी। इकाई द्वारा दिया गया उत्तर अमान्य है क्योंकि धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक लंबित पड़ी है।

अत: इकाई द्वारा विभिनआय मदों के अंतर्गत **₹232 लाख** के करो की लंबित वसूलियों का प्रकरण उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

नगर निगम ऋषिकेश के अंतर्गत वसूले जाने वाले गृहकर का विवरण

संलग्नक 'अ'

धनराशि (₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वार्षिक मांग	कुल योग	वसूली	अवशेष
2016-17	23.50	89.16	112.66	58.12 (52%)	54.54
2017-18	54.54	89.16	143.70	62.48 (43%)	81.22
2018-19	81.22	100.00	181.22	86.18 (48%)	95.04
2019-20	95.04	200.00	295.04	114.93 (39%)	180.11

नगर निगम ऋषिकेश की परिसंपतियों (भवन/दुकानों) से किराए की वसूली का विवरण

संलग्नक 'अ'

धनराशि (₹ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वार्षिक मांग	कुल योग	वसूली	अवशेष
2016-17	722000	573832	1295832	681427 (53%)	614405
2017-18	614405	573832	1188337	600061 (50%)	588176
2018-19	588176	573832	1162008	150000 (13%)	1012008
2019-20	1012008	4131590	5143598	NIL (0%)	5143598

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर 10: नव-नियुक्त कर्मचारियों से संबन्धित नई अंशदायी पेंशन योजना का क्रियान्वयन न किया जाना।

शासनादेश सं 21/xxvvi (7)अ.पे.यो/2005 दिनांक 25/10/2005 के अनुसार राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओ/राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नई भर्तियों पर 01 अक्टूबर 2005 से नयी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी, जिसके अंतर्गत वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का अंशदान किया जाएगा एवं इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्यसरकार अथवा संबन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड शासन के पत्रांक 346/xxvii(7)/2007 दिनांक 21 नवम्बर, 2007 द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया था कि जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं/ स्थानीय निकायों में अंशदायी पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होता, ऐसी संस्थाओं में जब तक भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के पेंशन फंड के विषय में पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त नहीं होता, तब तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसी संस्था में जहां न्यूनतम सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज से कम ब्याज अनुमन्य न हो, सुरक्षित निवेश किया जाय ताकि जैसे ही फंड मैनेजर नियुक्त हो ब्याज सहित ऐसी धनराशि प्रत्येक कर्मचारी के विवरण सहित फंड मैनेजर को हस्तांतरित कर दी जाय।

कार्यालय नगर निगम ऋषिकेश, जनपद देहरादून अधिकारियों/कर्मचारियों के नई अंशदान पेंशन योजना के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 01 अक्टूबर, 2005 के बाद नगर निगम ऋषिकेश, जनपद देहरादून में 82 अधिकारियों /कर्मचारियों (**सूची संलग्न**) को सेवा में नियुक्त किया गया था। आगे अभिलेखों का जांच में पाया गया की उक्त (**सूची संलग्न**) अधिकारियों /कर्मचारियों कीअंशदायी पेंशन योजना की अंशदान की कटौतियाँ एवं नियोक्ता के अंशदान की धनराशि को यूनियन बैंक आफ इंडिया ऋषिकेश में जमा की जा रही थी। जिस पर बैंक द्वारा सामान्य बचत खाते के रूप में ब्याज दिया जा रहा था। और फरवरी 2015 के बाद पास बुकों का अध्यतन नहीं किया गया और अधिकारियों /कर्मचारियों की अंशदान पेंशन योजना की कटौतियों एवं नियोक्ता के अंशदान की धनराशि को मासिक रूप से खातों में जमा नहीं किया जा रहा था।

कार्यालय नगर निगम, ऋषिकेश द्वारा संलग्नक अधिकारियों /कर्मचारियों के वेतन से प्रति माह अंशदान की कटौतियाँ एवं नियोक्ता के अंशदान की कटौती की जा रही है, परंतु उन कटौतियों को मासिक रूप से खातों में जमा नहीं करा जा रहा था। कटौती करने के तीन माह बाद जमा किया जा रहा था। जिससे की अधिकारियों /कर्मचारियों को प्रति माह मिलने वाले ब्याज का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा था।

कार्यालय नगर निगम, ऋषिकेश द्वारा उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रान (Permanent Retirement Account Number) आवंटन किये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। जिसके कारण उक्त अधिकारी/कर्मचारियों को नई अंशदायी पेंशन योजना का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा था।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये बताया गया कि नव-नियुक्त कर्मचारियों के नई अंशदायी पेंशन योजना का क्रियान्वयन का प्रयास किया जा रहा है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन द्वारा नव-नियुक्त कर्मचारियों के नई अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित शासनादेश 2005 में ही निर्गत कर दिये गए थे एवं इनके क्रियान्वयन नहीं होने के कारण संबन्धित कर्मचारियों को आर्थिक क्षति हुई है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

कार्यालय नगर निगम,ऋषिकेश में न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र.सं	अधि/कर्म का नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि	कटौती तिथि	प्रान नंबर
1	श्री विनोद लाल	सहा0 नगर आयुक्त	7/7/2014	9/1/2019	NIL
2	श्रीमती स्नेहा शिवा	लेखाकार	6/30/2014	8/1/2017	NIL
3	श्री रमेश सिंह रावत	कर अधीक्षक	4/1/2015	9/15/2019	NIL
4	श्री संतोष गुसाईं	सफाई निरीक्षक	8/11/2015	9/15/2019	NIL
5	निशात अंसारी	कर अधीक्षक	6/15/2015	6/1/2016	NIL
6	श्री सचिन सिंह रावत	सफाई निरीक्षक	10/26/2015	6/1/2016	NIL
7	श्री धीरेन्द्र दत्त सेमवाल	सफाई निरीक्षक	12/31/2018	6/1/2019	NIL
8	श्रीमती कविता लोहानी	आशुलिपिक	10/1/2005	4/1/2011	NIL
9	श्री दीपक सेमवाल	लिपिक	3/28/2012	8/1/2013	NIL
10	श्री सुशील कुमार	चालक	5/7/2015	6/1/2016	NIL
11	श्रीमती लक्ष्मी	परिचारिका	5/20/2014	8/1/2015	NIL
12	श्री अजय फुल्लू	पर्यावरण मित्र	22/04/2006	01.04.2012	NIL
13	श्री राकेश किशन	पर्यावरण मित्र	13/06/2006	01.04.2012	NIL
14	श्रीमती शीला ऋषिपाल	पर्यावरण मित्र	1/8/2006	01.04.2012	NIL
15	श्रीमती दयावती लाला	पर्यावरण मित्र	16/11/2006	01.04.2012	NIL
16	श्री राजीव महाबीर	पर्यावरण मित्र	7/6/2007	01.04.2012	NIL
17	श्री भोला ऋषिपाल	पर्यावरण मित्र	12/9/2007	01.04.2012	NIL
18	श्री बिपिन गजे सिंह	पर्यावरण मित्र	3/2/2009	01.04.2012	NIL
19	श्रीमती रानी - किरणपाल	पर्यावरण मित्र	6/4/2009	01.04.2012	NIL
20	श्री अजय सुरेंद्र	पर्यावरण मित्र	26/07/2010	01.04.2012	NIL
21	श्री रवि ऋषिपाल	पर्यावरण मित्र	18/08/2010	01.04.2012	NIL
22	श्री अमित विनोद	पर्यावरण मित्र	23/09/2010	01.04.2012	NIL
23	श्रीमती मुन्नी - सुखराम	पर्यावरण मित्र	14/10/2011	01.09.2013	NIL
24	श्री सन्नी -गुलाब	पर्यावरण मित्र	23/05/2012	01.09.2013	NIL
25	श्रीमती किरन - प्रवीन	पर्यावरण मित्र	18/08/2010	01.09.2013	NIL
26	श्री सत्यपाल -मामचंद	वाहन चालक	2/12/2017	01.06.2016	NIL
27	श्री भोला -बख्तावर	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
28	श्रीमती केला -कालू	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
29	श्रीमती नीता -ईलम सिंह	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
30	श्री अनिल बलजीत	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
31	श्री जोगेंद्र -जगदीश	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
32	श्री राजेश- बिसम्बर	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL

33	श्रीमती रजनी- मुकेश	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
34	श्री बबला अतरा	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
35	श्री धर्मपाल-हरगु	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
36	श्रीमती शशि- राजेंद्र	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
37	श्री राजेंद्र-छोटेलाल	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
38	श्रीमती शरला-प्रदीप	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
39	श्री संतोष -राजेश	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
40	श्री राजू -सुमैर	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
41	श्री प्रमोद- झगड़राम	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
42	श्री रामु -रोशनलाल	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
43	श्री कमल -उदयपाल	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
44	श्री मुकेश -रामप्रसाद	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
45	श्री राजन प्यारेलाल	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
46	श्री प्रदीप- ओमप्रकाश	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
47	श्रीमती सुमन- नरेश	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
48	श्री कमल - अमीचंद	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
49	श्री राजेश - नानूराम	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
50	श्री संतोष -राज	पर्यावरण मित्र	1/5/2015	01.06.2016	NIL
51	श्री अक्षय धर्मपाल	पर्यावरण मित्र	3/6/2016	01.01.2019	NIL
52	श्री नानू मनीराम	पर्यावरण मित्र	15/03/2016	01.01.2019	NIL
53	श्री मल्लू- रघू	पर्यावरण मित्र	3/6/2016	01.01.2019	NIL
54	श्री हरिओम- छोटेलाल	पर्यावरण मित्र	3/6/2016	01.01.2019	NIL
55	श्री सुरेश- नौरता	पर्यावरण मित्र	5/9/2016	01.01.2019	NIL
56	श्रीमती कौशल्य -संजय	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
57	श्री अनिल -ऋषिपाल	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
58	श्री राकेश -ओमप्रकाश	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
59	श्री नरेश -लाला	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
60	श्रीमती सबिता- मनोज	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
61	श्री राहुल- किरणपाल	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
62	श्रीमती रानी -विनोद	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
63	श्रीमती-मुन्नी बिन्दर	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
64	श्रीमती प्रेमो -नकलीराम	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
65	श्रीमती लोंगश्री -गुलाब	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
66	श्रीमती पूनम -रविंद्र	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL

67	श्रीमती अनीता -सतीश	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
68	श्री रुपेश -फुल्लू	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
69	श्रीमती रेनू -सुनील	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
70	श्री रवि -राकेश	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
71	श्री बबली -सुन्दर	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
72	श्रीमती सुनीता-नन्दपाल	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
73	श्रीमती सुशीला- तीरथ	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
74	श्री महेंद्र -मोहनलाल	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
75	श्री रवि-विनोद	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
76	श्री प्रकाशी -ईलम सिंह	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
77	श्री भारत -रमेश	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
78	श्रीमती लक्ष्मी -राजेंद्र	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
79	श्री सोनी -पूरण	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
80	श्रीमती रानी -सत्यपाल	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
81	श्रीमती मीना- नाथी	पर्यावरण मित्र	9/6/2017	01.07.2020	NIL
82	श्री रोहित - फूलचंद	पर्यावरण मित्र	3/11/2015	01.06.2017	NIL

भाग दो (ब)

प्रस्तर 11: निगम परिक्षेत्र में स्थापित विभिन्न विद्युत देयको के भुगतान में विलम्ब के कारण देयको के साथ Late Payment Surcharge की धनराशि ₹ 8.59 लाख का अनियमित भुगतान किया जाना।

नगर निगम कार्यालय द्वारा निगम कार्यालय के साथ साथ निगम परिक्षेत्र में विभिन्न स्थानों यथा सडको एवं गलियों में स्थापित स्ट्रीट लाईट तथा चारधाम बस स्टेशन आदि स्थानों पर स्थापित विद्युत कनेक्सनों का रख रखाव व उनके विद्युत देयकों का भुगतान किया जाता है। विद्युत देयकों के भुगतान सम्बन्धी अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा स्ट्रीट लाईट के 52 विद्युत संयोजनों के विद्युत देयकों के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा था जिस कारण विद्युत देयकों के साथ Late Payment Surcharge भी सम्मिलित कर देयक प्रस्तुत किया जाता है, तद्नुसार कार्यालय द्वारा इन देयकों का भुगतान किया जाता है। माह 01/2019 से 02/2020 की अवधि में स्ट्रीट लाईयों के देयकों के साथ सम्मिलित Late Payment Surcharge सम्बन्धी विवरण निम्नवत् है;

क्रम सं0	देयक माह	कुल विद्युत संयोजनों की संख्या	देयक की कुल धनराशि ₹	सम्मिलित LPS की धनराशि ₹
1	01/2019	22	-1623401	22980
2	02/2019	22	-1291039	25736
3	03/2019	22	-1040338	28054
4	04/2019	30	845785	59931
5	05/2019	22	-400103	32483
6	06/2019	22	-113661	34829
7	07/2019	22	180797	36495
8	08/2019	22	517322	38026
9	09/2019	22	844159	39969
10	10/2019	0	0	0
11	11/2019	22	1596257	44037
12	12/2019	22	2005350	46714
13	01/2020	22	2382114	49949
14	02/2020	22	2777543	52839
15	02/2019	20	5322570	53644
16	03/2019	30	5459185	56182
17	04/2019	30	845785	59931
18	05/2019	30	956007	10058
19	06/2019	30	922211	35633
20	07/2019	30	1062626	10163
21	08/2019	30	1210225	10167
22	09/2019	30	1191808	12063
23	10/2019	0	0	0
24	11/2019	30	1408396	14164
25	12/2019	30	1502718	15102
26	01/2020	30	1611122	16203
27	02/2020	30	1728568	17490
	Total		**2,99,02,006**	**8,22,842**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि स्ट्रीट लाईट के विद्युत संयोजनों के सापेक्ष विद्युत विभाग से प्रत्येक माह नियमित रुप से प्राप्त देयकों के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है। परिणामस्वरुप केवल एक वर्ष अर्थात 13 माहों के दौरान 52 विद्युत संयोजनों के सापेक्ष धनराशि ₹ 8.22 लाख का Late Payment Surcharge आरोपित किया गया तद्नुसार कार्यालय द्वारा इन देयकों का भुगतान किया गया।

इसी प्रकार से चारधाम टूरिष्ट बस ट्रान्जिट कम्पाउण्ड ऋषिकेश में संस्थापित कनेक्सन संख्या 27751 के देयकों के भुगतान सम्बन्धी अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि माह 02/2017 से 01/2020 की अवधि में विद्युत देयकों के साथ धनराशि ₹ 36,623 का Late Payment Surcharge आरोपित किया गया था तद्नुसार कार्यालय द्वारा इन देयकों का भुगतान किया गया था (विवरण संलग्न)। इस प्रकार से उपरोक्त दोनों प्रकरणों में बहुत ही कम अवधि के देयकों के साथ आरोपित Late Payment Surcharge के रुप में धनराशि ₹ 8.59 लाख का अनियमित भुगतान किया गया। यदि इन देयकों का भुगतान नियमित रुप से प्रत्येक माह किया गया होता तो इस प्रकार के अनियमित भुगतान से बचा जा सकता था और इस धनराशि को अन्य विकास कार्यो पर व्यय किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि भविष्य में विद्युत देयकों का भुगतान विभाग से देयक प्राप्त कर ससमय भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

अतः निगम परिक्षेत्र में स्थापित विभिन्न विद्युत देयको के भुगतान में विलम्ब के कारण देयको के साथ Late Payment Surcharge की धनराशि ₹ 8.59 लाख का अनियमित भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

कार्यालय द्वारा विद्युत देयकों के में भुगतान में विलम्ब किये जाने सम्बन्धी विवरण

Sl No.	Place of connection	connection No.	Bill month	Bill amounts	LPS amount included in the bill
1	चारधाम टूरिष्ट बस ट्रान्जिट कम्पाउण्ड ऋषिकेश	25751	02/2017	2,47,811.00	2,802.00
2			03/2017	6,043.00	547.00
3			07/2017	1,62,177.00	1,318.00
4			10/2017	44,973.00	338.00
5			12/2017	85,146.00	755.00
6			07/2018	2,36,250.00	2,515.00
7			04/2019	2,17,863.00	2,245.00
8			05/2019	2,59,920.00	2,611.00
9			06/2019	1,09,288.00	3,104.00
10			07/2019	1,70,157.00	1,303.00
11			08/2019	2,40,959.00	2,048.00
12			09/2019	3,23,702.00	2,907.00
13			10/2019	3,71,357.00	3,905.00
14			11/2019	4,13,964.00	4,452.00
15			01/2020	1,91,134.00	5,773.00
	Total			**30,80,744.00**	**36,623.00**

भाग दो (ब)

प्रस्तर 12: राज्य वित्त के अन्तर्गत विगत तीन वर्षो में अवमुक्त धनराशि ₹ 5524.21 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया जाना।

नगर निगम को 14वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत के अन्तर्गत सफाई एवं पथ प्रकाश आदि कार्यो के सम्पादन के लिए धनराशि अवमुक्त की जाती है। अवमुक्त धनराशियों के व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र पेषित की जाती है। सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कि केन्द्रीय एवं राज्य वित्त के अन्तर्गत अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र विगत तीन वर्षो से प्रेषित नहीं किये गये थे। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में निम्न तालिका में सूचना उपलब्ध करावें।

(धनराशि ₹ लाख में)

मद	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्तियॉ**	**कुल योग**	**प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराषि**
राज्य वित्त के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का विवरण				
2017-18	199.62	1770.23	1969.85	शून्य
2018-19	-	1776.94	1776.94	शून्य
2019-20	-	1777.42	1777.42	शून्य
कुल योग	**199.62**	**5324.59**	**5524.21**	शून्य
14वॉ वित्त के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का विवरण				
2017-18	252.07	443.65	695.72	शून्य
2018-19	-	691.41	691.41	शून्य
2019-20	-	768.68	768.68	शून्य
कुल योग	**252.07**	**1903.74**	**2155.81**	शून्य

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत तीन वर्ष के दौरान राज्य वित्त के अन्तर्गत प्रारम्भिक अवशेष को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि ₹ 5524.21 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था तथा 14वें वित्त के अन्तर्गत उक्त अवधि में धनराशि ₹ 2155.81 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था। परन्तु इन सभी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार को विगत तीन वर्षो से प्रेषित नहीं किये गये थे।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि उक्त अवधि में अवमुक्त धनराशियों के उपयोगिता के लिए शासन द्वारा अवधि दिसम्बर 2020 तक विस्तारित कर दी गयी है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन द्वारा केवल 14वॉ वित के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशियों के उपयोगिता की अवधि बढाई गयी है जबकि राज्य वित्त के अन्तर्गत निर्गत धनराशियों के उपयोग के सम्बन्ध में कोई अवधि नहीं बढाई गयी है। इस प्रकार से उक्त अवधि के राज्य वित्त के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि ₹ 5524.21 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया था।

अतः राज्य वित्त के अन्तर्गत विगत तीन वर्षो में अवमुक्त धनराशि ₹ 5524.21 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मक: कार्यालय **नगर निगम, ऋषिकेश, जनपद-देहरादून** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2017-18 से 2019-20 तक** की संप्रेक्षा श्री अशोक कुमार, स.ले.प.अ. , श्री पी0आर0 चौहान, स.ले.प.अ.तथा श्री रविन्द्र सिंह , व.ले.प. द्वारा श्री राज बहादुर, व. ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में दिनांक **08/10/2020** से **27/10/2020** तक संपादित की गयी |

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 (अ)	भाग-2(ब)	स्टैन
स्था0नि0/प्रति0सं0-75/2017-18	01	प्रस्तर सं0-01 से 14	01
प्रति संख्या- 558/2014-15	01	01	शून्य

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
स्था0नि0/प्रति0सं0-75/2017-18	**शून्य**	इकाई द्वारा लेखापरीक्षा दल को अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई	इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि प्रतिवेदन के प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र तैयार कर प्रेषित कर दी जायेगी		इकाई द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत न किए जाने के कारण प्रस्तरों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका		

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----सामान्य-----

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **नगर निगम, ऋषिकेश जनपद-देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

2. सतत अनियमितताएँ: **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01	श्री एस.ए. मुरुगेशन	प्रशासक	विगत लेखापरीक्षा से 09/10/2018
01.	श्री प्रेम लाल	नगर आयुक्त	10/10/2018 से 07/03/2019 तक
02	श्री चतर सिंह चौहान	नगर आयुक्त	08/03/2019 से 17/08/2019 तक
	श्री एलम दास	प्रभारी नगर आयुक्त	18/08/2019 से 29/09/2019 तक
03	श्री प्रेम लाल	नगर आयुक्त	30/09/2019 से 07/11/2019 तक
04	श्री नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल	नगर आयुक्त	08/11/2019 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश**, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ देहरादून - 248195** को प्रेषित कर दी जाय |

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ AMG-II